क.

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर वी।

भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख इंजीनियर सैन्य इंजीनियर सेवा द्वारा किया गया

(2017 की सिविल अपील संख्या 1533) 18 जनवरी, 2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** ए**.** एस**.** बोपन्ना और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

प्रशासनिक कानूनःन्यायिक समीक्षा-मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप का दायरा-आयोजितःसीमित है-एक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को केवल एस. एस. में निर्दिष्ट आधारों पर चुनौती दी जा सकती है।30 और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 33, अर्थात्, जब अधिनिर्णय में कोई त्रुटि होती है या जब मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाहियों का गलत संचालन किया है-और न ही न्यायालय मध्यस्थ द्वारा तैयार किए गए कानून या तथ्यों के निष्कर्ष पर अपने स्वयं के विचार को प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसे कि वह अपील में बैठा है-मध्यस्थता अधिनियम, 1940।मध्यस्थताःमध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों का अंतिम मध्यस्थ होता है और यह किसी पक्ष के लिए इस आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि उसने अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले हैं या कुछ तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है-अनुबंध के नियमों और शर्तों और इसके प्रावधानों का अर्थ लगाने और किसी पक्ष के पक्ष में दी गई कुछ राशियों पर विचार करने का कार्य खुद को सौंपना अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-जब तक मध्यस्थ ने एक संभावित दृष्टिकोण लिया है, जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण हो सकता है, केवल इसलिए कि उसी साक्ष्य के आधार पर पुरस्कार में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण संभव है, पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का आधार भी नहीं होगा-तत्काल मामले में, एकमात्र मध्यस्थ ने कुछ निश्चित दिए थे।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

निष्क्रिय किराया शुल्कों पर पहुंचने के लिए अपीलार्थी-दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूत्र के आधार पर, दोनों निर्विवाद होने के कारण, अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है-मध्यस्थता अधिनियम, 1940।

अपील का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** न्यायालय एक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है और केवल वे आधार हैं जिन पर इसे चुनौती दी जा सकती है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा **30** और **33** में निर्दिष्ट किए गए हैं**,** अर्थात्**,** जब पुरस्कार के सामने कोई त्रुटि होती है या जब मध्यस्थ ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है।**[**पैरा **10] [619-**एफ**-**जी**; 620-**ए**]**

ग

एनटीपीसी लिमिटेड बनामडीकोनार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड **(2021)** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 498** भारतीय खाद्य निगम बनाम श्रीकांत

परिवहन (1999) 4 एससीसी 491:[1999] 3 एससीआर 699;

गुणवत्ता विनिर्माण निगम बनाम केंद्रीय भंडारण निगम (2009) 5 एस. सी. सी. 142; असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम बिल्डवर्थ प्राइवेट

डी.

लिमिटेड (2017) 8 एस. सी. सी. 146:[2017] 7 एस. सी. आर. 123-संदर्भित।

1.2 यह कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत भी है कि पुरस्कार को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि मध्यस्थ ने अपना निष्कर्ष निकाला है या प्रासंगिक तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।न ही न्यायालय कानून या तथ्यों के निष्कर्ष पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को मध्यस्थ द्वारा तैयार किए गए तथ्यों के विपरीत प्रतिस्थापित कर सकता है**,** जैसे कि वह अपील में बैठा हो।जब तक मध्यस्थ एक संभावित दृष्टिकोण रखता है**,** जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण हो सकता है**,** केवल इसलिए कि उसी साक्ष्य के आधार पर पुरस्कार में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण संभव है**,** तब तक भी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा।**[**पैरा **12,13] [621-**बी**-**सी**; 622-**बी**-**सी**]**

ई.

च

राजस्थान राज्य बनाम पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और

एक और (1994) 6 एससीसी 485:[1994] 3 पूरक।एससीआर 616;

जी.

अरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनामभारत संघ और एक अन्य

(1999) 9 एससीसी **449:[1999] 2** पूरक।एससीआर **621,**

दिल्ली नगर निगम बनाम जगन नाथ अशोक

कुमार एंड अदर (1987) 4 एस. सी. सी. 497:[1988] 1 एस. सी. आर. 180-संदर्भित।

एच.

611

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ए

क.

2.1 एक बार जब एकल मध्यस्थ ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाकर अनुबंध के खंडों की व्याख्या कर ली थी और अपीलकर्ता**-**दावेदार द्वारा अपनी याचिका को सही ठहराने के लिए प्रस्तुत किए गए कई कारणों का विश्लेषण करने के लिए काफी हद तक चला गया था कि वह अनुबंध को निष्पादित करने के लिए समय बढ़ाने का हकदार था**,** तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ को उक्त निर्णय पर एक अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए था और मध्यस्थ के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए थी।**[**पैरा **20] [626-**ई**-**एफ**]**

2.2 तत्काल मामले में, पुरस्कार को देखने के बाद, एकमात्र मध्यस्थ पक्षों के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या पर एक विशेष दृष्टिकोण लेने के लिए अपने तर्क में स्पष्ट था।यही कारण था कि एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और **1940** के अधिनियम की धारा **30** और **33** के तहत प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। एकल मध्यस्थ के सामने पेश किए गए साक्ष्य के सूक्ष्म विवरण में आवर्धक कांच के साथ जाकर और उस पर वापस किए गए निष्कर्षों में, अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस पर रखी गई सीमाओं का उल्लंघन किया है।किसी भी मामले में, इस तरह का दृष्टिकोण रखने के लिए दिए गए कारण न तो उचित हैं और न ही मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है।एकल न्यायाधीश द्वारा समर्थित एकमात्र मध्यस्थ द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों को स्वीकार किया जाता है कि अपीलकर्ता-दावेदार के लिए काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने के लिए पर्याप्त औचित्य था और प्रत्यर्थी-भारत संघ का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय वैध कारणों से नहीं था।**[**पारस **21,22] [626-**एफ-एच**; 627-**ए-बी**]**

ग

डी.

ई.

3.1 दूसरा तर्क उस राशि से संबंधित है जो निष्क्रिय किराया शुल्क के कारण अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में दी गई थी और उस स्थान पर पड़ी उसकी मशीनरी और उपकरणों का मूल्य, जिसे विवादित निर्णय में अलग रखा गया है।यद्यपि अपीलार्थी-दावेदार ने कई शीर्षों के तहत मुआवजे की मांग की थी, एकल मध्यस्थ ने उसे निष्क्रिय किराया शुल्क और **31** मई, **1999** तक ब्याज सहित मशीनरी के मूल्य के लिए **15,35,40,785/-** की राशि प्रदान की।उच्च न्यायालय ने विभिन्न वस्तुओं और मशीनरी की उपलब्धता और उनके मूल्य का पता लगाने के लिए एक इंजीनियर नियुक्त किया।इंजीनियर और बीमा सर्वेक्षक ने अनुबंध की समाप्ति की तारीख से ठीक एक साल बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया था कि

च

₹

जी.

एच.

साइट पर मशीनरी की **21** वस्तुएं उपलब्ध थीं और उनका सामूहिक बाजार मूल्य **2,72,95,000/-** था और अधिकांश मशीनरी की स्थिति बिगड़ गई थी और वे अब उपयोग करने योग्य नहीं थे।उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-दावेदार को साइट पर पड़ी मशीनरी की **21** वस्तुओं को हटाने की अनुमति दी, बशर्ते वह तीन सप्ताह के भीतर **2.73** करोड़ की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करे।हालाँकि अपीलकर्ता-दावेदार को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद उक्त मशीनरी की डिलीवरी लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने यह याचिका लेने पर ऐसा नहीं किया कि जब प्रतिवादी-भारत संघ से मशीनरी के निरीक्षण और छेड़छाड़/लापता भागों को सत्यापित करने के लिए संपर्क किया गया था, तो बाद वाले ने कोई भी सूची तैयार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मशीनरी और उपकरण

₹

ग

इसे "जैसा है जहां है" के आधार पर जारी किया जाएगा।एकमात्र मध्यस्थ

यह पाया गया कि अपीलकर्ता-दावेदार के अनुबंध की समाप्ति के बाद, शेष अनुबंध कार्य प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा सीमा सड़क संगठन **[**बी. आर. ओ.**]** के माध्यम से **23** दिसंबर, **1995** को पूरा किया गया था और उस समय तक, उपकरण और मशीनरी प्रत्यर्थी-भारत संघ के पास बनी हुई थी।**[**पैरा **23,24] [627-**बी-सी, ई-एच**; 628-**ए-सी**]**

डी.

3.2 प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा कम से कम **23** दिसंबर**, 1995** के तुरंत बाद अपीलकर्ता-दावेदार को उपकरण और मशीनरी वापस सौंपकर नुकसान को कम करने में विफल रहने के लिए दोष पाते हुए**,** मध्यस्थता पुरस्कार में कहा गया कि अपीलकर्ता-दावेदार **2** अप्रैल**, 1992** से अनुबंध की समाप्ति की तारीख**, 23** दिसंबर**, 1995** तक**,** बी**.** आर**.** ओ**.** द्वारा शेष अनुबंध कार्य पूरा होने की तारीख तक**,** निष्क्रिय किराया शुल्क का हकदार था। साइट पर मशीनरी और उनकी स्थिति और मूल्यांकन से संबंधित एक रिपोर्ट देने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए और आगे यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है**,** एकमात्र मध्यस्थ ने कहा कि उपकरणों और मशीनरी को मूल्यांकन सौंपने के उद्देश्यों के लिए उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करना उचित रूप से सुरक्षित माना गया था।यहां तक कि **2** अप्रैल**, 1992** से **23** दिसंबर**, 1995** के बीच की अवधि के लिए मशीनरी के निष्क्रिय किराया शुल्क की गणना करने के उद्देश्यों के लिए**,** अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा एक विशेष सूत्र के आधार पर दी गई गणना पर प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई थी। उक्त सूत्र के आधार पर**,** निष्क्रिय किराया ए के लिए अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में **6,77,41,386/-** की राशि प्रदान की गई थी।

ई.

च

जी.

एच.

613

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आई. टी. एस. एम. डी. बनामभारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ए

18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय ब्याज के साथ यंत्रों और उपकरणों के शुल्क और ब्याज सहित कुल **785/-** के उपकरण और यंत्रों के मूल्य के लिए याचिकाकर्ता-दावेदार को **2,000/-** की राशि प्रदान की गई थी।**[**पैरा **25] [628-**डी-एच**]**

₹

3.3 अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त दावे को यह विचार रखते हुए दरकिनार कर दिया है कि एकमात्र मध्यस्थ इस तथ्य से अनजान हो गया था कि एक बार उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-दावेदार को उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में साइट से उपकरण और मशीनरी को हटाने की अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया था और फिर भी उन्हें नहीं हटाया गया था**,** तो उसके पास स्थिति के लिए खुद के अलावा कोई और दोषी नहीं है।यह मानते हुए कि एकमात्र मध्यस्थ ने यह निरीक्षण करके खुद को गलत तरीके से पेश किया था कि दावेदार साइट पर उपलब्ध होने पर बिना किसी सूची के मशीनरी को नहीं लेने में **"**सही हो सकता है**",** अपीलीय न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-दावेदार उपकरणों और मशीनरी के मूल्य के लिए किसी भी राशि का हकदार नहीं था**,** क्योंकि उसी उपकरण के लिए निष्क्रिय किराया शुल्क दिया गया था।**[**पैरा **26] [629-**ए-सी**]**

ग

डी.

3.4 अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है और इस तय कानूनी स्थिति के सामने आता है कि मध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों का अंतिम मध्यस्थ है और यह किसी पक्ष के लिए इस आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि उसने अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले हैं या कुछ तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।यह अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वह अनुबंध के नियमों और शर्तों और इसके प्रावधानों को समझने का कार्य खुद को सौंपे और किसी पक्ष के पक्ष में दी गई कुछ राशियों पर विचार करे।एकल मध्यस्थ ने मशीनरी और उपकरणों के पुर्जों के निष्क्रिय किराया शुल्क और मशीनरी के नुकसान के लिए अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में राशि देने के लिए कुछ ठोस कारण दिए थे।यह अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था कि उसने एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का

पुनर्मूल्यांकन करके उक्त कारणों की तर्कसंगतता की जांच की।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपकरण और मशीनरी का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय आयुक्त द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर और सूत्र पर आधारित, उपरोक्त शीर्षों पर अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में राशि प्रदान की गई है।

ई.

च

जी.

एच.

अपीलार्थी-दावेदार द्वारा निष्क्रिय किराया शुल्कों पर पहुंचने के लिए प्रस्तुत किया गया, दोनों निर्विवाद होने के कारण, अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं है।**[**पैरा **27] [629-**सी**-**जी**]**

4. प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा निर्दिष्ट अनुबंध के नियमों और शर्तों, अर्थात् खंड **7,11,54** और **70** को मामले के तथ्यों, पक्षों के आचरण और अनुबंध के कुछ अन्य भौतिक नियमों और शर्तों पर भरोसा करके, एकमात्र मध्यस्थ द्वारा तथ्य स्थिति पर विधिवत नोट, चर्चा और अप्रयोज्य घोषित किया गया है, जो उनके विचार में प्रत्यर्थी-भारत संघ को यह दावा करने से वंचित कर देता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा अनुरोध किए गए समय को बढ़ाने से इनकार करना उचित था।इसलिए प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि एकमात्र मध्यस्थ ने स्वयं गलत आचरण किया था, खारिज कर दिया जाता है।ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, "अपवादात्मक मामलों" के पहलू पर उद्धृत किसी भी निर्णय से प्रत्यर्थी-भारत संघ को कोई सहायता नहीं मिलेगी।**[**पैरा **29] [630-**बी**-**डी**]**

ग

डी.

राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड बनामईस्टर्न इंजीनियरिंग एंटरप्राइज एंड अदर (1999) 9 एस. सी. सी.

283 :[1999] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 710-**लागू नहीं होता है।

ई.

ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और एक अन्य बनाम बालासोर

तकनीकी विद्यालय (2000) 9 एस. सी. सी. 552; महाप्रबंधक,

उत्तर रेलवे और एक अन्य बनाम सर्वेश चोपड़ा

(2002) 4 एससीसी 45:[2002] 2 एस. सी. आर. 156; K.P.Poulose v.

केरल राज्य और दूसरा **(1975) 2** एस**.** सी**.** सी**. 236:[1975]**

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 214-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

च

[1999] 3 एससीआर **699**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

(2000) 9 एस**.** सी**.** सी**. 552**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

[2002] 2 एससीआर **156**

संदर्भित किया गया है

पैरा **8**

जी.

[1999] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 710** लागू नहीं होने वाला पैरा **8 [1975]** अनुपूरक।एस**.** सी**.** आर**. 214** पैरा **8 (2009) 5** एस**.** सी**.** सी**. 142** पैरा **10** ए**.**

एच.

615

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा ए

[2017] 7 एससीआर **123**

संदर्भित किया गया है

पैरा **11**

[1994] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 616** पैरा **12 [1999] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **13 [1988] 1** एस**.** सी**.** आर**. 180** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 621** पैरा **13** को संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील संख्या 1533।

2009 की ओ. एस. अपील No.177 और 2010 की एम. पी. संख्या 1 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 20.07.2010 से।

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, चिराग एम. श्रॉफ, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

ग

संजय जैन, ए. एस. जी., अशोक कुमार पांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता, डी. एल. चिदानंद, सुश्री मीनाक्षी ग्रोवर, भुवन मिश्रा, चंद्र प्रकाश, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता।उत्तरदाता के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली**,** जे**.**

1. अपीलार्थी-दावेदार ने 20 जुलाई, 2010 के मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ इस अपील को प्राथमिकता दी है, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम 1,1940 की धारा 39 के तहत प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई है और 1999 के ओ. पी. संख्या 663 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 19

जनवरी, 2009 के आदेश में हस्तक्षेप किया गया है, जो 24 जून, 1999 के मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ 1940 के अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दायर एक याचिका है।19 जनवरी, 2009 के फैसले के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिया था और पुरस्कार को बरकरार रखा था।हालाँकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निष्क्रिय किराया शुल्क और उपकरणों और मशीनरी के मूल्य के लिए इसमें अपीलार्थी के पक्ष में विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि को अलग कर दिया है।इसके अलावा, समय के विस्तार और प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में अनुबंध की अवैध समाप्ति से संबंधित पुरस्कार में वापस किए गए निष्कर्षों को भी दरकिनार कर दिया गया।शेष मुद्दों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की विधिवत पुष्टि की गई और डिक्री को बरकरार रखा गया।

ई.

च

जी.

1 संक्षेप में '1940 अधिनियम'

एच.

2. वर्तमान अपील के निपटारे के लिए प्रासंगिक मामले के तथ्यों का विवरण इस प्रकार हैः

16 नवंबर, 1988 को, अपीलकर्ता-दावेदार, एक निर्माण कंपनी, ने प्रत्यर्थी-भारत संघ के साथ नौसेना वायु स्टेशन, अरकोनम में एक रनवे और संबद्ध कार्यों के निर्माण के लिए एक अनुबंध किया, जिसका कुल अनुबंध मूल्य <ID1,190/- [उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख 94 हजार एक सौ नब्बे रुपये] था।अनुबंध के अनुसार, काम शुरू होने की तारीख से 21 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना था, जो 23 अगस्त, 1990 को समाप्त होना था।यह प्रत्यर्थी-भारत संघ का रुख है कि साइट को 24 नवंबर, 1988 को अपीलकर्ता-दावेदार को सौंप दिया गया था और माना जाता है कि उक्त तिथि से अनुबंध पूरा होने की तारीख 23 अगस्त, 1990 को समाप्त हो गई होगी।इसके विपरीत, अपीलार्थी का रुख है कि वह 1 जनवरी, 1989 को ही काम शुरू कर सकता है, क्योंकि बरसात के मौसम के कारण स्थल पर भारी जलभराव था।कार्य के निष्पादन के दौरान, अपीलकर्ता-दावेदार ने संभावित लक्ष्य तिथि के रूप में 15 जुलाई, 1992 से 45 पखवाड़ों के लिए परियोजना को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की।प्रत्यर्थी-भारत संघ ने तीन बार समय बढ़ाने की मंजूरी दी, पहले 31 दिसंबर, 1990 तक, फिर 30 जून, 1991 तक और अंत में 31 मार्च, 1992 तक।मार्च, 1992 के मध्य तक, अपीलकर्ता-दावेदार रनवे और टैक्सी ट्रैक के निर्माण का पर्याप्त काम 72 प्रतिशत तक पूरा करने का दावा करता है।चूंकि प्रत्यर्थी-भारत संघ ने 11 मार्च, 1992 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा रनवे का उद्घाटन करने का प्रस्ताव रखा था, इसलिए अपीलकर्ता-दावेदार को 9 मार्च, 1992 को साइट वापस सौंपनी पड़ी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से स्टेशन एक प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया।नतीजतन, अपीलार्थी-दावेदार को प्रत्यर्थी-भारत संघ से अपने कर्मचारियों, संचालकों और मजदूरों को शेष कार्य पूरा करने के लिए पास जारी करने का अनुरोध करना पड़ा।लेकिन कोई प्रवेश पास जारी नहीं किया गया था।इसके बजाय, 2 अप्रैल, 1992 के पत्र के माध्यम से मुख्य अभियंता द्वारा अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था, जिन्होंने काम को पूरा करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जो अन्यथा 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाला था।

₹

ग

डी.

ई.

च

3. उपरोक्त समाप्ति आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता-दावेदार ने पक्षों द्वारा निष्पादित अनुबंध में मध्यस्थता खंड का आह्वान किया और उनके बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया गया।अपीलार्थी-दावेदार द्वारा विद्वान एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष कई दावे किए गए थे।प्रत्यर्थी-भारत संघ ने भी जवाबी दावे किए।विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने ए के रूप में कई बनाए

जी.

एच.

617

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

33 जारी करने और साक्ष्य का मूल्यांकन करने और सुनवाई करने पर पक्षों ने 24 जून, 1999 को 506 पृष्ठों का एक विस्तृत पुरस्कार घोषित किया, जिसमें अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में 31 मई, 1999 तक के ब्याज सहित 25 करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार चार सौ बयालीस पैसे की राशि दी गई।इसके अलावा, उत्तरदाता-भारत संघ द्वारा 1 जून, 1999 से 14,12,50,907.55p की मूल राशि पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य के ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।[चौदह करोड़ बारह लाख पचास हजार नौ सौ सात सौ पैसे], प्राप्ति तक।जहां तक प्रत्यर्थी-भारत संघ के प्रति-दावे का संबंध है, विद्वान एकल मध्यस्थ ने भविष्य के ब्याज के साथ दावा संख्या 6 के संबंध में अपने पक्ष में <ID1-[एक लाख बयालीस हजार दो सौ पचास रुपये] की राशि प्रदान की।

₹

ग

4. 24 जून, 1999 के पुरस्कार से व्यथित, प्रत्यर्थी-भारत संघ ने 1940 के अधिनियम की धारा 33 के साथ पठित धारा 30 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने 19 जनवरी, 2009 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था और पुरस्कार के संदर्भ में एक डिक्री पारित की गई थी जिसमें कहा गया था कि इसमें अपीलकर्ता-दावेदार डिक्री की तारीख, यानी 19 जनवरी, 2009 से भुगतान की तारीख तक मूल राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का हकदार होगा।19 जनवरी, 2009 के फैसले को प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा दायर एक अंतर-अदालत अपील में चुनौती दी गई थी। विवादित निर्णय द्वारा, खंड पीठ ने निष्क्रिय किराया शुल्क और उपकरणों और मशीनरी के मूल्य के लिए अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में दी गई राशि को अलग कर दिया है।इसके अलावा, समय के विस्तार और प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से अनुबंध की अवैध समाप्ति के संबंध में पुरस्कार में वापस किए गए निष्कर्षों को भी अलग कर दिया गया था।इसलिए, वर्तमान अपील।

डी.

ई.

च

5. हम ध्यान दे सकते हैं कि वर्तमान अपील में तर्कों को केवल दो मुद्दों पर संबोधित किया गया है, अर्थात् (i) समय के विस्तार की तर्कसंगतता और प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से अनुबंध की समाप्ति की वैधता; और (ii) 24 दिसंबर, 1995 से 31 दिसंबर, 1999 तक के ब्याज और उपकरणों और मशीनरी के मूल्य के साथ 2 अप्रैल, 1992 से 23 दिसंबर, 1995 तक साइट पर निष्क्रिय किराया शुल्क के संबंध में अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में दिया गया दावा।6. अपीलार्थी-दावेदार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा ने विवादित फैसले पर हमला किया और कहा कि यह ठोस कारणों से था कि विद्वान एकल मध्यस्थ ने फैसला सुनाया था

जी.

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

परियोजना को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दिए गए समय के विस्तार की तर्कसंगतता और प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए लिए गए निर्णय की वैधता से संबंधित संबंधित दावे के संबंध में अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में।

निष्क्रिय किराया शुल्क और स्थल पर पड़ी मशीनरी और उसके उपकरणों के मूल्य के संबंध में अपीलकर्ता-दावेदार का दावा भी उचित कारणों से उसके पक्ष में दिया गया था और खंड पीठ द्वारा गलती से खारिज कर दिया गया है।यह स्पष्ट किया गया कि अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों के नेतृत्व में साक्ष्य की पुनः सराहना करने में गलती की है, जिसकी विद्वत एकल मध्यस्थ द्वारा विधिवत जांच और मूल्यांकन किया गया था और विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा बरकरार रखा गया था।विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि पुराने अधिनियम के तहत किए गए मध्यस्थता पुरस्कारों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश, अर्थात्।, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 काफी सीमित है।न्यायालय विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठते हैं, और न ही न्यायालय केवल इस आधार पर पुरस्कार में हस्तक्षेप करते हैं कि मध्यस्थ ने एक संभावित दृष्टिकोण लिया है, हालांकि एक ही साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण लिया जा सकता था।यह कहते हुए कि वर्तमान मामला ऐसा नहीं है जहां पुरस्कार किसी भी पेटेंट विकृति या कानून की त्रुटि से ग्रस्त है; न ही विद्वान एकल मध्यस्थ ने कार्यवाही पर खुद को गलत तरीके से संचालित किया है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय ने विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के स्थान पर अपनी राय को प्रतिस्थापित करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।1940 के अधिनियम के तहत पारित मध्यस्थता निर्णय में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश पर तर्क को मजबूत करने के लिए, एनटीपीसी लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड पर निर्भरता रखी गई है।

ग

डी.

ई.

डीकोनार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड **2.**

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री संजय जैन ने विवादित फैसले का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि अपीलीय न्यायालय के पास समय के विस्तार की तर्कसंगतता, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा अनुबंध की समाप्ति की वैधता और अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में दिए गए मशीनरी और संयंत्र की निष्क्रिय लागत के दावे के पहलू पर विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों के संबंध में पुरस्कार को रद्द करने का हर कारण था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि समय के विस्तार की तर्कसंगतता और अनुबंध की समाप्ति की वैधता से संबंधित मुद्दे पक्षों को नियंत्रित करने वाले अनुबंध के खंड 7,11,54 और 70 के संदर्भ में "अपवादात्मक मामले" थे, जो पूरी तरह से थे।

च

जी.

2 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 498 ए

एच.

619

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

एकमात्र मध्यस्थ द्वारा अनदेखी की गई; कि प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से अनुबंध की समाप्ति की वैधता से संबंधित मुद्दा भी अनुबंध के खंड 54 और 70 के आधार पर "अपवादात्मक मामलों" के तहत शामिल किया गया था और यह कि एकमात्र मध्यस्थ ने अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में संयंत्र और मशीनरी की निष्क्रिय लागत के दावे की अनुमति देकर अनुबंध की शर्तों से परे यात्रा की थी।

8. भारत के प्रत्यर्थी-संघ की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में निष्क्रिय आरोपों को अनुमति देना इस कारण से पुरस्कार में एक पेटेंट अवैधता है कि अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा शुरू की गई एक अलग कार्यवाही में, उच्च न्यायालय ने अनुबंध की समाप्ति के बाद, साइट से अपनी सामग्री को उठाने की अनुमति दी थी, एक विकल्प जिसे उसने प्रयोग नहीं करने के लिए चुना था, सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से।उनके इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि एक "अपवादात्मक मामले" का निर्णय एक मध्यस्थ द्वारा नहीं किया जा सकता है, भारतीय खाद्य निगम में निर्णय

ग

बनाम श्रीकांत ट्रांसपोर्ट **3,** ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड और एक अन्य बनाम बालासोर टेक्निकल स्कूल **4** और महाप्रबंधक**,** उत्तरी रेलवे और एक अन्य बनाम सर्वेश चोपड़ा **5** का हवाला दिया गया है।

डी.

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30 और 33 के दायरे में, राजस्थान राज्य खानों में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भरता रखी गई है।

और मिनरल्स लिमिटेड **v.**ईस्टर्न इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज और अन्य **6**

और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा स्वयं या कार्यवाहियों का गलत आचरण करने के पहलू पर, के. पी. पौलोस बनाम राज्य

ई.

केरल और अन्य **7.**

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को सुना है और अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत पारित मध्यस्थता पुरस्कारों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप के दायरे की जांच करना उचित माना जाता है।

च

10. कई न्यायिक घोषणाओं में लिया गया सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि न्यायालय एक मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर अपील में नहीं बैठता है और इसे केवल वे आधार हैं जिन पर चुनौती दी जा सकती है जो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 और 33 में निर्दिष्ट किए गए हैं, अर्थात्, जब पुरस्कार के सामने कोई त्रुटि होती है या जब -

जी.

3 (1999) 4 एससीसी 491 4 (2000) 9 एससीसी 552 5 (2002) 4 एससीसी 45 6 (1999) 9 एससीसी 283 7 (1975) 2 एससीसी 236

एच.

विद्वान मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही का गलत संचालन किया है।इसमें

संदर्भ में, हम उपयोगी रूप से गुणवत्ता विनिर्माण निगम बनाम केंद्रीय भंडारण निगम 8 का उल्लेख कर सकते हैं, जहां इसे इस रूप में देखा गया है

निम्नलिखित हैः

"10. शुरुआत में**,** यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता पुरस्कारों के संबंध में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप का दायरा सीमित है।अधिनियम की धारा **30** या **33** के तहत एक आवेदन पर विचार करने वाली अदालत**,** मध्यस्थ के निष्कर्षों और निर्णय पर अपील में नहीं बैठती है।न ही यह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कर सकता है या पर्याप्तता की जांच कर सकता है या

अन्यथा सबूत।मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होता है और इसे केवल उन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है जिनका उल्लेख अधिनियम की धारा 30 और 33 में किया गया है। इसलिए, आग्रह की गई दलीलों पर, उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए एकमात्र सवाल यह था कि क्या निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि थी और क्या मध्यस्थ ने स्वयं या कार्यवाही का गलत संचालन किया था।"

ग

डी.

[जोर दिया गया]

11. असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम बिल्डवर्थ

प्राइवेट लिमिटेड 9, जहाँ विद्वत मध्यस्थ ने अनुबंध के प्रावधानों के निर्माण पर एक विशेष दृष्टिकोण लिया है, न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

ई.

"13. मध्यस्थ ने यह विचार रखा है कि मूल्य वृद्धि का प्रावधान दावेदार को पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद बाध्य नहीं करेगा।मध्यस्थ का यह दृष्टिकोण अनुबंध के प्रावधानों के निर्माण, पक्षों के बीच पत्राचार और 6-9-1983 की औपचारिक विस्तारित तिथि से परे भी 31-1-1986 तक अनुबंध को पूरा करने की अनुमति देने में बोर्ड के आचरण पर आधारित है। संबंधित मामले

च

एक अनुबंध का निर्माण प्रांत के भीतर होता है

मध्यस्थ न्यायाधिकरण।इसके अलावा, वर्तमान मामले में, मध्यस्थ द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण साक्ष्य सामग्री पर आधारित है जो निर्णय के लिए प्रासंगिक था।अभिलेख पर ऐसी कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है जो मध्यस्थता के तहत उपलब्ध मापदंडों के भीतर अदालत के हस्तक्षेप की गारंटी दे सकती हो।

जी.

8 (2009) 5 एस. सी. सी. 14 9 (2017) 8 एस. सी. सी. 14.6 ए

एच.

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

अधिनियम, 1940।मध्यस्थ ने न तो कार्यवाही में खुद को गलत तरीके से पेश किया है और न ही अधिनिर्णय अन्यथा अमान्य है।"

[जोर दिया गया]

12. यह कानून का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत भी है कि पुरस्कार को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि मध्यस्थ ने अपना निष्कर्ष निकाला है या प्रासंगिक तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।न ही न्यायालय कानून या तथ्यों के निष्कर्ष पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को मध्यस्थ द्वारा तैयार किए गए तथ्यों के विपरीत प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसे कि वह अपील में बैठा हो।यह पहलू है

राजस्थान राज्य बनाम पुरी कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में उजागर किया गया है।

और अन्य **10,** जहाँ इसे इस प्रकार देखा गया हैः

“26. पक्षकारों के बीच विवाद के लिए मध्यस्थ अंतिम मध्यस्थ होता है और यह इस आधार पर निर्णय को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि मध्यस्थ ने अपना निष्कर्ष निकाला है या तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।सुदर्शन में

ग

ट्रेडिंग कं**.** वी**.**केरल राज्य **[**सुदर्शन ट्रेडिंग कं**.** बनाम**.**राज्य

केरल का, (1989) 2 एस. सी. सी. 38] इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ की अधिकारिता के बारे में विवादों और विवादों के बीच अंतर है कि उस अधिकारिता का प्रयोग किस तरह किया जाना चाहिए।एक विशेष उपाय देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति के बारे में एक संघर्ष हो सकता है।किसी को अधिकार क्षेत्र के भीतर एक त्रुटि और क्षेत्र में एक त्रुटि के बीच अंतर निर्धारित करना होता है।

डी.

अधिकार क्षेत्र की अधिकता।न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कानून या तथ्य के निष्कर्ष के अपने स्वयं के मूल्यांकन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है कि मध्यस्थ ने सौदे के विपरीत काम किया था।

ई.

दलों के बीच।क्या किसी विशेष राशि का भुगतान किया जाना देय था**,** यह निर्णय मध्यस्थ की क्षमता के भीतर लिया जाता है। के द्वारा

अनुबंध का अर्थ लगाने के लिए न्यायालय यह कहने का भार अपने ऊपर नहीं ले सकता है कि यह अनुबंध के विपरीत था और इस तरह अधिकार क्षेत्र से बाहर था।यदि किसी अनुबंध के दृष्टिकोण पर**,** दिए गए कुछ राशियों पर मध्यस्थ का निर्णय एक संभावित दृष्टिकोण है**,** हालांकि शायद एकमात्र सही दृष्टिकोण नहीं है**,** तो पुरस्कार की अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती है।जहां मध्यस्थ द्वारा निर्णय देने में कारण दिए गए हैं**,** वहां न्यायालय कारणों की तर्कसंगतता की जांच नहीं कर सकता है।यदि दलों ने चुना है

च

जी.

उनके अपने मंच, निर्णायक मंच को साक्ष्य के मूल्यांकन की शक्ति को स्वीकार किया जाना चाहिए।मध्यस्थ एकमात्र न्यायाधीश होता है

10 (1994) 6 एससीसी 485

एच.

622

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

साक्ष्य की गुणवत्ता के साथ-साथ मात्रा और यह न्यायालय के लिए नहीं होगा कि वह मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य पर न्यायाधीश होने का कार्य अपने ऊपर ले।"

[जोर दिया गया]

13. जब तक मध्यस्थ एक संभावित दृष्टिकोण रखता है, जो एक प्रशंसनीय दृष्टिकोण हो सकता है, केवल इसलिए कि उसी साक्ष्य के आधार पर पुरस्कार में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण संभव है, तब तक भी पुरस्कार में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा।अरोसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड बनामभारत संघ और अन्य 11, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

"36. यह ध्यान दिया जाए कि मामलों के एक लंबे समूह के कारण, अब यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालत द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन स्वीकार्य नहीं है और वास्तव में अदालत द्वारा साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए शक्ति का प्रयोग मध्यस्थता अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही के लिए अज्ञात है। निर्णय में कोई कारण नहीं होने की स्थिति में अदालत के हस्तक्षेप का सवाल ही नहीं उठेगा।हालाँकि, यदि कारण हैं, तो हस्तक्षेप तब भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उपलब्ध नहीं होगा जब तक कि निश्चित रूप से, पुरस्कार में कुल विकृति मौजूद न हो या निर्णय कानून के गलत प्रस्ताव पर आधारित न हो।यदि कानून के सवाल पर भी दो विचार संभव हैं, तो अदालत को निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।"

ग

डी.

ई.

(दिल्ली नगर निगम बनाम जगन नाथ अशोक कुमार और अन्य 12 का भी उल्लेख करें)

14. राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (ऊपर) में,

प्रत्यर्थी द्वारा-भारत संघ, मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत दिए गए एक पुरस्कार से संबंधित मामले की कानून और ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश के संबंध में, अदालत द्वारा कानूनी स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षेपित किया गया थाः

च

"44. उपरोक्त निर्णयों के सारांश से यह कहा जा सकता है किः

जी.

(क) न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाने के लिए खुला नहीं है, जहां मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं दिए गए हैं, कि मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या प्रेरित किया।

11 (1999) 9 एससीसी 449 12 (1987) 4 एससीसी 497 ए

एच.

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

(ख) न्यायालय के लिए यह स्वीकार करने के लिए खुला नहीं है कि वह उस मानसिक प्रक्रिया की जांच करे जिसके द्वारा मध्यस्थ अपने निष्कर्ष पर पहुंच गया है, जहां पुरस्कार की शर्तों द्वारा इसका खुलासा नहीं किया गया है।

(ग) यदि मध्यस्थ ने अपने निर्णय के लिए प्रस्तुत विवादित प्रश्न पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में केवल तथ्य या कानून की त्रुटि की है तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

(घ) यदि कानून का कोई विशिष्ट प्रश्न निर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो उस प्रश्न पर मध्यस्थ का निर्णय अंतिम नहीं है, चाहे वह उसके अधिकार क्षेत्र में कितना भी हो और उसके लिए प्रश्न का आकस्मिक रूप से निर्णय लेना वास्तव में आवश्यक है।ऐसे मामले में जहां पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ की अधिकारिता से संबंधित कानून के विशिष्ट प्रश्न को मध्यस्थ के निर्णय के लिए भेजा गया था, तब पक्षकारों के बीच उक्त प्रश्न पर मध्यस्थ का निष्कर्ष बाध्यकारी हो सकता है।(ङ) गैर-भाषी पुरस्कार के मामले में, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है।यदि मध्यस्थ अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है तो पुरस्कार को अलग रखा जा सकता है।

ग

डी.

(च) यह पता लगाने के लिए कि क्या मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे यात्रा की है, मध्यस्थता खंड वाले पक्षों के बीच समझौते पर विचार करना आवश्यक होगा।अपने अधिकार क्षेत्र से परे कार्य करने वाला मध्यस्थ पुरस्कार के सामने स्पष्ट त्रुटि से अलग आधार है।

ई.

(छ) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य किया है, यह देखना होगा कि क्या दावेदार मध्यस्थ के समक्ष कोई विशेष दावा कर सकता है।यदि अनुबंध या कानून में कोई विशिष्ट अवधि है जो मध्यस्थ को दावेदार द्वारा उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने की अनुमति या शक्ति नहीं देती है या विशेष दावे को उठाने के अनुबंध में कोई विशिष्ट प्रतिबंध है तो मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार उसके संबंध में अधिकार क्षेत्र से अधिक होगा।

च

(ज) मध्यस्थ द्वारा संदर्भ की शर्तों या मध्यस्थता समझौते या अनुबंध की शर्तों की अवहेलना करते हुए दिया गया पुरस्कार एक अधिकार क्षेत्र की त्रुटि होगी जिसके लिए अंततः न्यायालय द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।वह ऐसी राशि नहीं दे सकता जिसे समझौते की शर्तों द्वारा खारिज या प्रतिबंधित किया गया हो।समझौते में पक्षों द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबंध के कारण, उस दावे को नहीं उठाया जा सका।भले ही इसे व्यापक मध्यस्थता खंड के कारण उठाया जाता है और मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाता है, ऐसी दावा राशि नहीं हो सकती है

जी.

एच.

समझौता पक्षों के बीच बाध्यकारी होने के कारण दिया जाता है और मध्यस्थ को समझौते के अनुसार निर्णय लेना होता है।(i) मध्यस्थ मनमाने ढंग से, तर्कहीन रूप से, मनमौजी रूप से या अनुबंध से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था।जानबूझकर प्रस्थान या अनुबंध की सचेत अवहेलना न केवल उसके अधिकार की अवहेलना या उसकी ओर से कदाचार को प्रकट करती है, बल्कि यह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के समान हो सकती है।

(जे) मध्यस्थ सुलहकर्ता नहीं है और कानून को नजरअंदाज नहीं कर सकता है या इसे गलत तरीके से लागू नहीं कर सकता है ताकि वह वही कर सके जो वह उचित और उचित समझता है; मध्यस्थ एक न्यायाधिकरण है जिसे पक्षकारों द्वारा कानून के अनुसार विवादों का फैसला करने के लिए चुना जाता है।"

ग

15. एन**.** टी**.** पी**.** सी**. (**ऊपर**)** में हाल ही में दिए गए एक फैसले में**,** जो इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया था**,** गुणवत्ता विनिर्माण निगम **(**ऊपर**)** में निर्णय से बल प्राप्त करते हुए**,** यह इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"13. उपरोक्त घोषणाओं और इस न्यायालय के अन्य निर्णयों से यह स्पष्ट है कि आक्षेपकर्ता/अपीलार्थी को मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अपनी चुनौती में सफल होने के लिए, उन्हें यह दिखाना होगा कि मध्यस्थ का पुरस्कार विकृति या कानून की त्रुटि से ग्रस्त था या कि मध्यस्थ ने अन्यथा स्वयं गलत आचरण किया था।केवल यह दिखाता है कि वहाँ

डी.

क्या अभिलेख पर सामग्री के आधार पर एक और उचित व्याख्या या संभावित दृष्टिकोण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए अपर्याप्त है **[**यू**.** पी**.** बनाम राज्य देखें।संबद्ध निर्माण**, (2003) 7** एस**.** सी**.** सी**. 396;** रवींद्र

ई.

कुमार गुप्ता और कंपनी बनाम भारत संघ**, (2010) 1** एस**.** सी**.** सी**. 409;** ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड बनाम ओसवाल एग्रो मिल्स

च

लिमिटेड, (2018) 16 एससीसी 219]।"

[जोर दिया गया**]**

16. उपरोक्त मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, अब हम अपीलकर्ता-दावेदार के लिए विद्वान वकील द्वारा कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दिए गए समय के विस्तार की तर्कसंगतता के पहलू पर की गई दलीलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही भारत संघ के पक्ष में रखे गए और अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए गए पक्षों के बीच अनुबंध को समाप्त करने के निर्णय की वैधता और क्या अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ता-दावेदार को दिए गए राशि को निष्क्रिय किराया शुल्क और साइट पर पड़ी अपनी मशीनरी और उपकरण के मूल्य के कारण अलग रखने में गलती की है।

जी.

एच.

625

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

क.

17. अपीलार्थी-दावेदार के लिए विद्वान वकील द्वारा विवादित निर्णय पर हमला करने के लिए प्रस्तुत की गई दलीलों का पहला अंग, जिसके तहत विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा इस प्रभाव से वापस किए गए निष्कर्ष कि अपीलार्थी-दावेदार काम पूरा करने के

लिए समय बढ़ाने का हकदार था और भारत संघ को अनुबंध को समाप्त नहीं करना चाहिए था, विद्वान मध्यस्थ ने निम्नलिखित तीन मुद्दे तैयार किए थेः

"1. विस्तारित समय सहित इसे पूरा करने के लिए निर्धारित समय के भीतर काम पूरा न होने के क्या कारण थे और कौन सा पक्ष जिम्मेदार था?

2. क्या आई. डी. 1 तक दिए गए समय का विस्तार पर्याप्त था और उपरोक्त मुद्दा संख्या 1 में विचार किए गए कारक के कारण हुई देरी के अनुरूप था?

ग

3. क्या प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध की समाप्ति गलत और अवैध थी जैसा कि दावेदार ने कहा था?"

18. टूथकोम्ब के साथ अभिलेख पर लाए गए विशाल दस्तावेजों की बड़ी मेहनत से छान-बीन करने के बाद, उपरोक्त तीन मुद्दों को आपस में जोड़ा गया था, जिनका जवाब अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में दिया गया था।अपीलार्थी-दावेदार के वकील द्वारा बताए गए बीस कारणों को स्वीकार करते हुए, जिनसे उस कार्य को पूरा करने में देरी हुई थी, जिसके लिए समय बढ़ाने की आवश्यकता थी, जिसमें उस स्थान पर जलभराव की स्थिति, जिसके कारण काम 31 दिसंबर, 1988 तक शुरू नहीं हो सका, निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक काम की मात्रा में वृद्धि, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा समय-समय पर कोई समय विस्तार दिए बिना या अतिरिक्त काम के लिए उचित दरें निर्धारित किए बिना परिवर्तन का आदेश, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा परिष्कृत मशीनरी और उपकरणों की खरीद और तैनाती के लिए जारी आदेश जो मूल रूप से विचार नहीं किए गए थे, खाड़ी संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की अनुपलब्धता, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दिए गए टुकड़ों में विस्तार शामिल हैं।विद्वान एकल मध्यस्थ ने यह निष्कर्ष भी वापस किया कि प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा 31 मार्च, 1992 तक दिए गए समय का विस्तार अपर्याप्त था और ऊपर उल्लिखित कारकों के कारण होने वाली देरी के अनुरूप नहीं था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

19. यह घोषणा करते हुए कि प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा अनुबंध की समाप्ति गलत और अवैध थी, अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में मुद्दों संख्या 1 से 3 का जवाब दिया गया।पुरस्कार में आए उपरोक्त निष्कर्षों से सहमत होते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।हालाँकि, अपीलीय न्यायालय ने पुरस्कार में दिए गए समवर्ती निष्कर्षों और उसके समक्ष आक्षेपित निर्णय से असहमति जताई।भले ही अपीलीय न्यायालय 1940 के अधिनियम के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को दी गई चुनौती का निर्णय करते समय न्यायालय पर लगाई गई सीमाओं के बारे में सचेत था, और विवादित निर्णय में इसे स्वीकार करने के बावजूद, उसने कोई प्रतिबंध नहीं दिखाया और न केवल अनुबंध के नियमों और शर्तों के साथ-साथ विद्वान एकल मध्यस्थ के समक्ष पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की भी पुनः सराहना करने के लिए आगे बढ़ा।इसके बजाय, पुरस्कार को इस आधार पर गलत ठहराया गया था कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने उस आधार पर काम किया था जो उन्हें उचित लगा।अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एकमात्र मध्यस्थ ने अनुबंध को केवल इसलिए पुनर्लिखित किया था क्योंकि उनकी राय में, प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा 31 मई, 1993 तक समय का विस्तार दिया जाना चाहिए था।ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी-भारत संघ के स्वीकृति प्राधिकरण के अनुबंध को पूरा करने के लिए 596 दिनों का विस्तार

देने के आदेश को सही ठहराने के लिए संक्षिप्त विवरण में गया और कहा कि उक्त अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी था।

ग

डी.

20. हमारी राय है कि एक बार जब विद्वान एकल मध्यस्थ ने एक विशेष दृष्टिकोण अपनाकर अनुबंध के खंडों की व्याख्या की थी और अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा अपनी याचिका को सही ठहराने के लिए पेश किए गए कई कारणों का विश्लेषण करने के लिए काफी हद तक चला गया था कि वह अनुबंध को निष्पादित करने के लिए समय बढ़ाने का हकदार था, तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ को उक्त निर्णय पर एक अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं बैठना चाहिए था और विद्वान मध्यस्थ के लिए अपने विचार को प्रतिस्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए थी।

ई.

च

21. तत्काल मामले में, पुरस्कार को देखने के बाद, हम पाते हैं कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ पक्षों के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या पर एक विशेष दृष्टिकोण लेने के लिए अपने तर्क में स्पष्ट था।यही कारण था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था और 1940 के अधिनियम की धारा 30 और 33 के तहत प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। विद्वत एकल मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के सूक्ष्म विवरण में आवर्धक कांच के साथ जाकर और उस पर वापस किए गए निष्कर्षों में, अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उस पर रखी गई सीमाओं का उल्लंघन किया है।किसी भी मामले में, हम ए के हैं

जी.

एच.

627

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आई. टी. एस. एम. डी. बनामभारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

राय है कि इस तरह का दृष्टिकोण रखने के लिए दिए गए कारण न तो उचित हैं और न ही मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक हैं।

22. हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा समर्थित विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा वापस किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करते हैं कि अपीलकर्ता-दावेदार के लिए काम पूरा करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने का पर्याप्त औचित्य था और प्रत्यर्थी-भारत संघ का अनुबंध समाप्त करने का निर्णय वैध कारणों से नहीं था।

23. दूसरा तर्क उस राशि से संबंधित है जो निष्क्रिय किराया शुल्क के कारण अपीलार्थी-दावेदार के पक्ष में दी गई थी और उस स्थान पर पड़ी उसकी मशीनरी और उपकरणों का मूल्य, जिसे विवादित निर्णय में अलग रखा गया है।इस बिंदु को विद्वान एकल मध्यस्थ द्वारा तैयार किए गए अंक No.17 में शामिल किया गया था, जो नीचे दिया गया हैः

ग

“17. क्या दावेदार अपने अधिभार और लाभ के नुकसान, मशीनरी और उपकरणों के निष्क्रिय किराया शुल्क के नुकसान, लापता पुर्जों के कारण नुकसान, गलत और अवैध रूप से बैंक गारंटी को भुनाने के कारण हुए नुकसान और विस्तारित अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि के कारण हुए अतिरिक्त व्यय के मुआवजे के लिए Rs.25,45,88,460.00 का हकदार है जैसा कि उसके दावे संख्या 3 में दावा किया गया है?"

डी.

24. हालाँकि अपीलकर्ता-दावेदार ने कई शीर्षों के तहत मुआवजे की मांग की थी, लेकिन विद्वान एकल मध्यस्थ ने उसे निष्क्रिय किराया शुल्क और 31 मई, 1999 तक ब्याज सहित मशीनरी के मूल्य के लिए 15,35,40,785/- [पंद्रह करोड़ पैंतीस लाख पैंतालीस सौ पचासी रुपये] की राशि प्रदान की।उपरोक्त आंकड़े पर पहुंचने के लिए, अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा दायर एक अलग कार्यवाही में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा नियुक्त एक इंजीनियर की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ प्रार्थना की गई थी कि एक अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्य का आकलन करने के बाद नौसेना वायु स्टेशन, अरकोनम के स्थल पर पड़ी मशीनरी, उपकरण और उपकरण को वापस लेने की अनुमति दी जाए।उच्च न्यायालय ने विभिन्न वस्तुओं और मशीनरी की उपलब्धता और उनके मूल्य का पता लगाने के लिए एक इंजीनियर नियुक्त किया।इंजीनियर और बीमा सर्वेक्षक ने अनुबंध की समाप्ति की तारीख से ठीक एक साल बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि साइट पर मशीनरी की 21 वस्तुएं उपलब्ध थीं और उनका सामूहिक बाजार मूल्य 2,72,95,000/- [दो करोड़ 72 लाख 95 हजार रुपये] था और अधिकांश मशीनरी की स्थिति बिगड़ गई थी और वे अब उपयोग करने योग्य नहीं थे।21 जुलाई, 1993 के आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने अनुमति दी

ई.

₹

च

जी.

एच.

अपीलार्थी-दावेदार साइट पर पड़ी मशीनरी की 21 वस्तुओं को हटाने के लिए, बशर्ते वह तीन सप्ताह के भीतर 2.73 करोड़ की राशि के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करे।हालाँकि अपीलार्थी-दावेदार को बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद उक्त मशीनरी की डिलीवरी लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसने यह याचिका लेने पर ऐसा नहीं किया कि जब प्रतिवादी-भारत संघ से मशीनरी के निरीक्षण और छेड़छाड़/लापता भागों को सत्यापित करने के लिए संपर्क किया गया था, तो बाद वाले ने कोई भी सूची तैयार करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मशीनरी और उपकरणों को "जहां है उसी आधार पर" जारी किया जाएगा। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने पाया कि अपीलकर्ता-दावेदार के अनुबंध की समाप्ति के बाद, शेष अनुबंध कार्य प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा सीमा सड़क संगठन [बी. आर. ओ.] के माध्यम से 23 दिसंबर, 1995 को पूरा किया गया था और उस समय तक, उपकरण और मशीनरी प्रत्यर्थी-भारत संघ के पास बनी हुई थी।

₹

ग

25. प्रत्यर्थी-भारत संघ द्वारा कम से कम 23 दिसंबर, 1995 के तुरंत बाद अपीलकर्ता-दावेदार को उपकरण और मशीनरी वापस सौंपकर नुकसान को कम करने में विफल रहने के लिए दोष पाते हुए, मध्यस्थता पुरस्कार में कहा गया कि अपीलकर्ता-दावेदार 2 अप्रैल, 1992 से अनुबंध की समाप्ति की तारीख, 23 दिसंबर, 1995 तक, बी. आर. ओ. द्वारा शेष अनुबंध कार्य पूरा करने की तारीख तक, निष्क्रिय किराया शुल्क का हकदार था। साइट पर मशीनरी और उनकी स्थिति और मूल्यांकन से संबंधित एक रिपोर्ट देने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए और आगे यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने उक्त रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, विद्वान एकल मध्यस्थ ने कहा कि उपकरणों और मशीनरी को मूल्यांकन सौंपने के उद्देश्यों के लिए उक्त रिपोर्ट पर भरोसा करना उचित रूप से सुरक्षित माना गया था।यह उल्लेखनीय है कि 2 अप्रैल, 1992 से 23 दिसंबर, 1995 के बीच की अवधि के लिए मशीनरी के निष्क्रिय किराया शुल्क की गणना करने के उद्देश्यों के

लिए भी, अपीलार्थी-दावेदार द्वारा एक विशेष सूत्र के आधार पर दी गई गणना पर प्रतिवादी-भारत संघ द्वारा आपत्ति नहीं जताई गई थी।उक्त सूत्र के आधार पर, [आई. डी. 2], 386/- [छह करोड़ सत्ताईस लाख इकतालीस हजार इकतालीस सौ छियासठ रुपये] की राशि अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में मशीनरी और उपकरणों के निष्क्रिय किराया शुल्क के लिए दी गई थी, जिस पर प्रति वर्ष 18 प्रतिशत ब्याज देय था और [आई. डी. 1], 000/- [दो करोड़ सत्ताईस लाख निन्यानबे हजार रुपये] की राशि अपीलकर्ता-दावेदार को उपकरणों और मशीनरी के कुल मूल्य के लिए दी गई थी।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

629

अटलांटा लिमिटेड टीएचआर। आईटीएस एम. डी. वी.भारत संघ का प्रतिनिधित्व प्रमुख अंग्रेजी ने किया। सैन्य इंजीनियरिंग सेवा [हिमा कोहली, जे.] ए.

क.

26. अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त दावे को यह विचार रखते हुए दरकिनार कर दिया है कि विद्वान एकल मध्यस्थ ने इस तथ्य की दृष्टि खो दी है कि एक बार जब उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-दावेदार को उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में साइट से उपकरण और मशीनरी को हटाने की अनुमति देने का आदेश पारित कर दिया था और फिर भी उन्हें नहीं हटाया गया था, तो उसके पास स्थिति के लिए खुद के अलावा कोई और दोषी नहीं है।यह मानते हुए कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने यह देखकर खुद को गलत तरीके से पेश किया था कि दावेदार साइट पर उपलब्ध होने पर बिना किसी सूची के मशीनरी को नहीं लेने में "सही हो सकता है", अपीलीय न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता-दावेदार उपकरण और मशीनरी के मूल्य के लिए किसी भी राशि का हकदार नहीं था, क्योंकि उसी उपकरण के लिए निष्क्रिय किराया शुल्क दिया गया था।

ग

27. अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाला गया उपरोक्त निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है और इस तय कानूनी स्थिति के सामने आता है कि मध्यस्थ पक्षों के बीच विवादों का अंतिम मध्यस्थ है और यह किसी पक्ष के लिए इस आधार पर पुरस्कार को चुनौती देने के लिए खुला नहीं है कि उसने अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाले हैं या कुछ तथ्यों की सराहना करने में विफल रहा है।यह अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि वह अनुबंध के नियमों और शर्तों और इसके प्रावधानों को समझने का कार्य खुद को सौंपे और किसी पक्ष के पक्ष में दी गई कुछ राशियों पर विचार करे।यह दोहराया जाता है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने मशीनरी और उपकरणों के पुर्जों के निष्क्रिय किराया शुल्क और मशीनरी के नुकसान के लिए अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में राशि देने के लिए कुछ ठोस कारण दिए थे।यह अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर था कि उसने एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके उक्त कारणों की तर्कसंगतता की जांच की।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपकरण और मशीनरी का मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय आयुक्त द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त शीर्षों पर अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में राशियां दी गई हैं और निष्क्रिय किराया शुल्क पर पहुंचने के लिए अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा प्रस्तुत सूत्र पर आधारित हैं, दोनों निर्विवाद होने के कारण, हम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने तरीके में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं देखते हैं।

डी.

ई.

च

जी.

28. प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से किया गया निवेदन कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने खुद को गलत तरीके से पेश किया था, भी अपरिवर्तित है।इसके विपरीत, निष्कर्ष उनके निष्कर्षों के अनुरूप हैं और अभिलेखों से पता चलता है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा सामग्री दस्तावेजों की सही परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से जांच की गई थी।न ही

एच.

630

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 1 एस सी आर।

क्या हम इस दलील से आश्वस्त हैं कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक कार्य करते हुए, उठाए गए कुछ विवादों को तय करने का कार्य अपने ऊपर ले लिया, जब कथित रूप से, उन्हें अनुबंध में विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया था, जिसे "अपवादात्मक मामलों" के रूप में वर्णित किया गया था।

29. पुरस्कार को ध्यान से देखने के बाद, हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. द्वारा निर्दिष्ट अनुबंध के नियमों और शर्तों, अर्थात् खंड 7,11,54 और 70 को विधिवत नोट किया गया है, चर्चा की गई है और घोषित किया गया है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मामले के तथ्यों, पक्षों के आचरण और अनुबंध के कुछ अन्य भौतिक नियमों और शर्तों पर भरोसा करके तथ्य की स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता है, जो उनके विचार में प्रत्यर्थी-भारत संघ को यह दावा करने से वंचित कर देता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए अपीलकर्ता-दावेदार द्वारा अनुरोध किए गए समय को बढ़ाने से इनकार करना उचित था।इसलिए हम प्रत्यर्थी-भारत संघ की ओर से की गई इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने खुद को गलत तरीके से पेश किया था।ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, "अपवादात्मक मामलों" के पहलू पर उद्धृत किसी भी निर्णय से प्रत्यर्थी-भारत संघ को कोई सहायता नहीं मिलेगी।न ही विद्वान एएसजी द्वारा निर्णय के पैरा 44 (जी) पर निर्भरता रखी जाएगी।

ग

डी.

राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनरल्स लिमिटेड (उपरोक्त) में किसी भी लाभ का होगा।

प्रत्यर्थी-भारत संघ को।30. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 20 जुलाई, 2010 के विवादित फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है, जबकि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 19 जून, 2009 के फैसले को बहाल करते हुए और ब्याज के साथ पुरस्कार के संदर्भ में अपीलकर्ता-दावेदार के पक्ष में दी गई डिक्री को बरकरार रखते हुए।

ई.

31. पक्षकारों को अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ते हुए, लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ अपील का निपटारा किया जाता है।

च

देविका गुजराल

अपील का निपटारा किया गया।

जी.

एच.